कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

Email ID - (1) snsgbd@gmail.com, (2) deo-gariyaband.cg@nic.in Phone+Fax : 07706-241288

//विज्ञापन की सूचना//

क्रमांक/3772/कले./निर्वा./2023 गरियाबंद, दिनांक 22/09/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/241/स्था./वि.स.नि./2023/1651/रायपुर, दिनांक 11.05.2023 के तहत– आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2023 का कार्य संपादन हेतु दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (केवल छः माह) हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, गरियाबंद के लिए **सहायक ग्रेड–03 संविदा) – 05 पद** के पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला गरियाबंद के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक 23.09.2023 से उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में अपलोड हैं या कार्यालयीन समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर,
गरियाबंद (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3772A/कले./निर्वा./2023 गरियाबंद, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपिः–

1. छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क, रायुपर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षित प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
5. सहायक संचालक, जनसपंर्क गरियाबंद की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला रोजगार अधिकारी, गरियाबंद को सूचनार्थ।
7. जिला कार्यालय गरियाबंद के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर,
गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

Email ID - (1) snsgbd@gmail.com, (2) deo-gariyaband.cg@nic.in Phone+Fax : 07706-241288

//विज्ञापन//

क्रमांक/3773/कले./निर्वा./2023 गरियाबंद, दिनांक 22/09/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/241/स्था./वि.स.नि./2023/1651/रायपुर, दिनांक 11.05.2023 के तहत– आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2023 का कार्य संपादन हेतु दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (केवल छः माह) हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, गरियाबंद के लिए **सहायक ग्रेड–03 संविदा)–05** पद के पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 29.09.2023** तक आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि :– ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला गरियाबंद के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक 23.09.2023 से उपलब्ध रहेगी।

क्र.	पद का नाम	कुल पद	पदों का विवरण			
			अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7
1.	**सहायक ग्रेड–03, संविदा** (जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु)	05	02	02	—	01

नियुक्ति प्राधिकारी :–

सहायक ग्रेड–03 (संविदा) पद जिला केडर के होने के कारण उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर किया जाना है। अतः सभी पदों के लिए नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गरियाबंद द्वारा की जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं:–

सहायक ग्रेड–03 (संविदा–05 पद, छः माह 30.11.2023 तक के लिए) :–

(अ) सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी
(ब) संविदा वेतन– रूपये 18,000 (एकमुश्त)
(स) शैक्षणिक अर्हता–

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुराना हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

02. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा।
03. हिन्दी व अंग्रेजी में डाटा एंन्ट्री की गति 5000 की डिप्रेशन (Key depression) प्रतिघंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

नियम व शर्ते :–

1. आवेदक की न्यूनतम आयु 01.01.2023 की स्थिति में 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष होगी। यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अन्य वर्ग/श्रेणी को उम्र संबंधी छूट शासन के निर्देशानुसार मान्य होगी।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतरिम आदेश/निर्णय दिनांक 01.05.2023 के अध्याधीन होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा मान्य संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (सहायक ग्रेड–03 हेतु)
7. पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं न्यूनतम हैं और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
8. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
9. विज्ञापन जारी होने की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताऐं पूर्ण होना अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।
10. आयु संबंधी प्रमाण पत्र हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी, एवं नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगें।
12. **सहायक ग्रेड–03 (संविदा) पद दिनांक 30.11.2023 पश्चात स्वयमेव सेवा समाप्ति हो जावेगी। इसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जावेगा तथा किसी प्रकार की अभ्यावेदन/आवेदन ग्राहय नहीं होगे।**
13. अंक समान होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत/कार्य कर चुके कर्मचारियों को वरियता/प्राथमिकता दी जावेगी तथा अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
14. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य हैं।
15. त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगें।
16. आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित एवं वैध होना अनिवार्य है। आवेदन भरते समय आवश्यक सावधानी बरते।
17. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र– छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के अधीन कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय आवेदक सीधे आवेदन कर सकते हैं, परंतु इसके तुरंत पश्चात् अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो यह मान लिया जावेगा कि नियोजक को आपत्ति नहीं हैं। आवेदक विभाग को अनापत्ति हेतु प्रेषित अपने आवेदन में इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख करेंगें।
18. किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गरियाबंद का होगा।
19. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
21. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

22. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नही किया जायेगा।
23. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दवाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
24. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार कलेक्टर, जिला गरियाबंद का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
25. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलाया जावेगा। जिस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
26. आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

अपर कलेक्टर,
जिला–गरियावंद

पृ.क्रमांक /3773A/ कले./निर्वा./2023 गरियाबंद, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपिः–

1. छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग , रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क, रायुपर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षित प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
6. सहायक संचालक, जनसपंर्क गरियाबंद की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जिला रोजगार अधिकारी, गरियाबंद को सूचनार्थ।
8. जिला कार्यालय गरियाबंद के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर,
जिला–गरियाबंद